आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) **अधिहरण वाद सं0–02/2021** **राज्य –बनाम– अज्ञात**	ओदश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
28.05.2021	अभिलेख उपस्थापित। जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 191/एम0, दिनांक 12.02.2021 द्वारा ग्राम–भलपहरी एवं कुण्डलवादह, थाना–ताराटांड, अंचल–गाण्डेय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैद्य रूप से संग्रहित किए गए कुल 36,779 घनफुट बालू खनिज को Jharkhand Minerals(Prevention of illegal mining, Tranportation and Storage) Rules, 2017 की कंडिका–11 के तहत् जप्त् करते हुए उसे राजसात करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न कागजात यथा पर्यवेक्षण टिप्पणी, जप्ती सूची तथा संलग्न प्रदर्शो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 11.02.2021 को करीब 03:00बजे अपराह्न में अनुमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह, अंचल अधिकारी गाण्डेय, थाना प्रभारी ताराटांड एवं जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा निरीक्षण क्रम में ग्राम भलपहरी से 26,279 घनफुट एवं ग्राम कुण्डलवादह से 10,500 घनफुट, कुल 36,779 घनफुट बालू खनिज का भण्डारण किया हुआ पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि ग्राम भलपहरी एवं कुण्डलवादह स्थित विभिन्न स्थलों पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा भण्डारण का कार्य किया जाता है। उक्त संग्रहित बालू बिना विभागीय अनुज्ञप्ति के किया गया प्रतीत हुआ, जो प्रथम दृष्टया राजस्व की चोरी की श्रेणी में आता है। तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा Jharkhand Minerals(Prevention of illegal mining, Tranportation and Storage) Rules, 2017 की कंडिका–11 के तहत् उक्त संग्रहित कुल 36,779 घनफुट बालू खनिज को जप्त् कर थाना प्रभारी, ताराटांड को जिम्मेनामा पर सौंपा गया। विपक्षी के अज्ञात होने के कारण नोटिश नहीं किया जा सका एवं ना ही किसी वैद्य व्यक्ति/डीलर/माइनिंग लीज होल्डर द्वारा बालू संग्रहण के समर्थन में अभी तक कोई भी साक्ष्य/वैद्य कागजात अधोहस्ताक्षरी अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया गया। अभी तक किसी के द्वारा जप्त् बालू पर दावा नहीं किया जाना यह स्थापित करता है कि इसका उत्खनन एवं जमाव अवैद्य तरीके से किया गया है। सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि Jharkhand Mineral(Prevention of illegal mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 की कंडिका–07 के तहत् "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale of engage in any transaction of buying selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as dealer" का उल्लंघन है। उक्त संग्रहित किए गए कुल 36,779 घनफुट बालू खनिज को वैद्य आधार के अभाव में राजसात करने योग्य बताया गया।	

—: आदेश :—

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकन एवं सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह के मंतव्य से संतुष्ट होते हुए Jharkhand Minerals (Prevention of illegal mining, Tranportation and Storage) Rules, 2017 की कंडिका–11(V) के तहत् जप्त् किए गए कुल 36,779 घनफुट बालू खनिज को राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि जप्त् किए गए कुल 36,779 घनफुट बालू खनिज को नियमानुसार कुर्क/नीलाम कर बिक्री के पश्चात् प्राप्त राशि को जिला कोषागार, गिरिडीह में जमा कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे एवं कृत कार्रवाई से इस न्यायालय को अवगत कराया जाय।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul
जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul
जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.09.29 20:29:32 +05:30
Location: 192.168.5.138